झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
(सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार)
प्रथम अपील संख्या 114/2017

प्रदीप भुवालका, पिता - जगदीश प्रसाद भुवालका मेसर्स भुवालका परफ्यूमरी के नाम और शैली के तहत, निवासी कतरास, पत्रा और थाना कतरास, जिला धनबाद।

.............वादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. राजू वासन, पिता - स्वर्गीय कुंदन लाल वासन
2. राहुल वासन, पिता - राजू वासन, मेसर्स वासन परफ्यूमरी वर्क्स के नाम और शैली के तहत, निवासी - पुरानी चावल मिल के पास, पंजाबी मोहल्ला, (केशलपुर रोड) का, कतरासगढ़, पत्रा0 एवं थाना कतरासगढ़, धनबाद। ....प्रतिवादी

उपस्थित

कोरम: माननीय न्यायमुर्ति सुभाष चंद

वादी के लिए: सुश्री खुशबू कटारूका, अधिवक्ता
श्री शुभम कटारूका, अधिवक्ता

प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता : श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता

फैसला

सी ए वी 5 फरवरी 2024 को 15 मार्च 2024 को फैसला उद्घोषित

अपीलकर्ता/वादी ओर से तत्काल प्रथम अपील विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश, धनबाद द्वारा स्वत्व वाद संख्या 89/2015 में दिनांक 22.02.2017 के निर्णय और डिक्री दिनांक - 02.03.2017 के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी के मुकदमे को ख़ारिज कर दिया था।

2. इस प्रथम अपील को उद्भूत करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी प्रदीप भुवालका ने इस प्रकथन के साथ एक वाद दायर किया था कि वादी गत अनेक वर्षो से व्यापार चिन्ह नियम 2002 के एक कलात्मक तरीके से लिखित "भुवालका दशमेश-100 (लेबेल)" व्यापार चिन्ह के तहत विभिन्न प्रकार की अगरबत्ती (अगरबत्ती) के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगा हुआ है। उक्त चिह्न "भुवलकादशमेश- 100 (लेबल" ने विशिष्टता प्राप्त कर ली है और बाजार में एक लोकप्रिय व्यापार चिन्ह बन गया है। यह व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत वादी की बौद्धिक संपदा है। वादी है उक्त व्यापार चिन्ह "भुवलकादशमेश-100 (लेबल) का मालिक और अन्य को

छोड़कर उक्त लेबल पर विद्द्मान कॉपीराइट और विशेष रूप से इसका उपयोग करने का हकदार है। वादी ने 24.03.2009 को अपने व्यापार चिन्ह "भुवालका" को ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 जो 2019 तक 10 वर्षों के लिए वैध था। पंजीकृत करवा लिया है। उसी व्यापार चिन्ह के तहत वादी ने दशमेश 100" सुगंधित अगरबत्ती सहित विभिन्न उत्पाद प्रवर्तन किए हैं।

2.1 जहां तक वादी द्वारा 10.04.2002 से "भुवलका दशमेश-100 (लेबल)" का निर्माण, विपणन और उपयोग किया जा रहा है, जिसके संबंध में वादी द्वारा 26.11.2012 को व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के तहत अतिरिक्त प्रतिनिधित्व किया गया है। वादी के उक्त व्यापार चिन्ह ने पूरे भारत में जबरदस्त प्रतिष्ठा, सद्भावना अर्जित की है।

2.2 वादी को पता चला कि प्रतिवादी व्यापार चिन्ह/लेबल वासन दशमेश 100 (लेबल)" के तहत अगरबत्ती के समान और समान उत्पादों का निर्माण और विपणन कर रहे हैं और भ्रमित करने के लिए धोखाधड़ी से उक्त आक्षेपित निशान के तहत इसे बेचना शुरू कर दिया है। जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए भ्रमित और धोखा दिया जाए कि उत्पाद वादी के हैं। आक्षेपित चिह्न रंग योजना और कलात्मक बनावट में भी वादी के व्यापार चिन्ह आर्ट वर्क "भुवलका दशमेश-100 (लेबल) के समान है जो वादी के व्यापार चिन्ह की दासवतनकल है, का एकमात्र उद्देश्य प्रतिवादी के उत्पादों को वादी के उत्पादों के रूप में चलाने के लिए आम जनता को भ्रमित करना और धोखा देना है।

2.3 प्रतिवादी का यह कृत्य वादी के उक्त व्यापार चिन्ह "भुवलकादशमेश-100 (लेबल)" का उल्लंघन है। यह भी तर्क दिया गया है कि आक्षेपित चिह्न "वासनदशमेश100 (लेबल)" संरचनात्मक और दृष्टिगत रूप से वादी व्यापार चिन्ह/कलात्मक कार्य "भुवलकादशमेश-100 (लेबल)" के समान है। आक्षेपित व्यापार चिह्न "वासन" को धोखाधड़ी से अपनाया गया है। प्रतिवादी द्वारा दशमेश 100 (लेबली), प्रतिवादी के निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों को वादी के उत्पादों के रूप में बेचने और बेचने की कोशिश करके असावधान और निर्दोष खरीदारों को धोखा देने और धोखा देने का धोखाधड़ी का कार्य है, जिससे सद्भावना और प्रतिष्ठा की हानि होती है। इस प्रकार प्रतिवादी ने व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 101 और 102 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

2.4 वादी ने लॉफर्म कलकत्ता व्यापार चिन्हसेवा के अधिवक्ता श्री अजीत पाल के माध्यम से दिनांक 11.03.2013 को एक वकालतन नोटिस भी भेजा था, जो प्रतिवादी को प्राप्त हुआ था, और उसने अपने अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शर्मा के माध्यम से 26.03.2013 को इसकी अंतर्वस्तु से प्रत्याख्यान कर दिया था, तथा कानूनी नोटिस और वादी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करके प्रतिवादी के उत्पाद "वासन दशमेश 100 (लेबल)" को वादी के उत्पाद "भुवलकादशमेश- 100 (लेबल)" के रूप में चलाना जारी रखा। वादी ने दिनांक 14.05.2014 को फिर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किया, कि उसे व्यापार चिन्ह वसन दशमेश 100 (लेबल) के तहत वादी के समान सामान/सेवाएं प्रदान करने, विनिर्माण, व्यापार करने से रोकने के लिए कहा, साथ ही वादी को लिखित में इस आशय का एक बिना शर्त वचन पत्र भी दिया कि वह इसके बाद उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं के लिए समान और भ्रामक रूप से समान व्यापार चिन्ह का उपयोग नहीं

किया जाएगा, साथ ही बाजार से एकत्रीकरन, संप्रदर्शन पट्ट, झंडा को वापस ले लिया जाएगा और वासन दशमेश 100 (लेबल) से चिह्नित सभी कार्टन, पैकेट, कंटेनर आदि को वापस ले लिया जाएगा।)" का वर्तमान भंडार तैयार माल, कच्चा माल, पैकिंग सामग्री, मुद्रित सामग्री, पट्टी के लिए रोलर, प्रचार सामग्री और समान को नष्ट करके वादी को सौंप दें और वादी को हुई क्षति के लिए 3 लाख रुपये की राशि, और तत्काल नोटिस के शुल्क के लिए रु. 3,500/- का भुगतान करें।

2.5 प्रतिवादियों ने पंजीकृत डाक लिफाफे का नोटिस लिफाफा खोला था और प्रेषक को 'अस्वीकृत' पृष्ठांकन के साथ उसे वापस कर दिया था जो इंगित करता है कि प्रतिवादी को उक्त नोटिस के बारे में जानकारी थी। प्रतिवादी द्वारा वादी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन जारी रखा जा रहा है, इसलिए मार्च, 2013 में उठी वाद हेतुक वाद दायर करने के दिन तक जारी है।

2.6 उपरोक्त यथा प्रार्थनीय आदेश और निर्देश के मद्देनजर प्रतिवादी को बाजार से एकत्रीकरण, संप्रदर्शनपट्ट, झंडा आदि को वापस बुलाने और नष्ट करने का और वासन दशमेश 100 (लेबल)'' से चिह्नित सभी डिब्बों, पैकेटों, कंटेनरों आदि को वापस ले लें और साथ ही प्रतिवादी को व्यापार के तहत वादी के समान सामान और सेवाएं प्रदान करने, विनिर्माण, व्यापार करने से रोकने के निषेधाज्ञा के आदेश के लिए भी। "वासन दशमेश 100 (लेबल)" का निशान और समान पूर्णांक के साथ दिखने वाला कोई भी अन्य निशान या किसी भी तरीके से आक्षेपित व्यापार चिहन को शामिल करना या चित्रित करना।साथ ही वैकल्पिक रूप से प्रतिवादी को 1,00,000/-- रुपये की राशि का भुगतान करने के निर्देश तथा वादी को मुक़दमे की लागत के साथ क्षतिपूर्ति या किसी अन्य उच्च राशि के रूप में, जो भी अदालत उचित समझे, के आदेश हेतु ।

3. प्रतिवादी की ओर से इन प्रकथनों के साथ लिखित बयान दाखिल किया गया कि वादी का वाद न तो कानून में और न ही तथ्यों में चलने योग्य है। वादी का वाद भी सीमा और छूट, विबंध और स्वीकृति के सिद्धांतों द्वारा वर्जित था। वादी का वाद भी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से वर्जित है और पोषनीय नहीं है। कॉपीराइट अधिनियम के साथ-साथ ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत शुरुआत में ही यह कहा गया है कि प्रतिवादी "दशमेश-100" के मालिक हैं, जो 'अगरबत्ती' अगरबत्ती बनाने के लिए विनिर्माण उद्यम है और जिला उद्योग कार्यालय द्वारा उक्त उद्यमों के लिए अनुज्ञप्ति जारी किया गया है।

3.1 प्रतिवादी के उपरोक्त उत्पाद को उपभोग के लिए एक अच्छा बाजार मिल गया है क्योंकि लोगों ने इसे प्राथमिकता से उपयोग किया है और इसकी मांग की है और "दशमेश-100" के रूप में ट्रेडमार्क उद्योग कार्यालय के तहत पंजीकृत है और बाजार में उत्तम गुण के कारण अच्छी खपत के लिए काम कर रहा है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि वादी का व्यापार चिन्ह "भुवालका" वादी के प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है जबकि प्रतिवादी का व्यापार चिन्ह "दशमेश-100" है। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा लाया गया वाद झूठे और तुच्छ आधारों पर अत्यधिक प्रेरित है। यह भी कहा गया है कि वादी ने प्रतिवादी के ट्रेडमार्क के पंजीकरण के बाद 26.11.2012 को व्यापार चिन्ह में "भुवलका दशमश-100" के रूप में व्यवसाय शुरू किया और उसे "दशमेश-100" मिला। "इसके उत्पाद के लिए बहुत व्यापक बाजार है और इस प्रकार यह अवैध है।

3.2 व्यापार चिन्ह "दशमेश-100" के तहत प्रतिवादी के बिक्री उत्पाद की अच्छी जबरदस्त मांग और अच्छा बाजार समर्थन है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी ने व्यापार चिन्ह "वासन दशमेश-100" अपनाया है, बल्कि वादी ने धोखे से प्रतिवादी के पंजीकृत नाम "भुवलका दशमेश-100" की नकल कर ली है और "भुवलका दशमेश-100" ही पंजीकृत है। जिला उद्योग कार्यालय धनबाद में प्रतिवादी के उद्यमों का नाम और वासन प्रतिवादी का उपनाम है जबकि वादी का "वासन' नाम से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है और इस प्रकार लेबेल बाजार प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण वादी की पूरी गतिविधि मस्तिष्क के दुष्ट रूपांकन से पूर्ण है। लेबल बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण जैसा कि वादी ने कहा है, प्रतिवादी पर वाद खारिज करने के प्रार्थना के साथकभी भी उपरोक्त के संबंध में कोई नोटिस तामिल नहीं की गई है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षों की दलीलों के आधार पर निम्नलिखित मुख्य बिन्दू अभिरचित किये हैं:

(I) क्या वादी के पास वर्तमान वाद के लिए वाद हेतुक है?

(II) क्या वाद अपने वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य है?

(II) क्या वादी अगरबत्ती बेचने के लिए "भुवलका दशमेश 100" के ट्रेडमार्क का पंजीकृत स्वामी है?

(IV) क्या प्रतिवादी अपनी अगरबत्तियाँ वादी द्वारा उपयोग किए गए वासन दशमेश 100 (लेबल)" के समान और समान लेबल के तहत बेच रहे हैं?

(V) क्या प्रतिवादी अपने उत्पाद को वादी के उत्पाद के रूप में पेश कर रहे हैं?

(VI) क्या वादी दावा की गई अनुतोष का हकदार है?

(VII) क्या वादी किसी अन्य अनुतोष, या अनुतोषो का हकदार है?

5. वादी का मामला सिद्ध करने के लिए वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में अ.सा.1- प्रदीप भुवालका, अ.सा.2- तारकेश्वर गुप्ता का परीक्षण किये गए।

5.1 प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1, भुवलका (आर) दशमेश 100 टी.एम. का नमूना पैकेट, प्रदर्श-2, वासन दशमेश-100 का नमूना पैकेट, प्रदर्श-3, वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी नोटिस दिनांक 11.03.2013, प्रदर्शनी- 4 उत्तर सूचना दिनांक 26.03.2013, प्रदर्श-5 दस्तावेज़ कॉपीराइट अधिनियम की धारा 45 के साथ, प्रदर्श -6अधिवक्ता का नोटिस दिनांक 24.05.2024, प्रदर्श -7 फॉर्म लिफाफा, पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादी को भेजी गई पावती के साथ और प्रदर्श -8व्यापार चिन्ह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गए।

6. मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादियों की ओर से राजेंद्र वासन उर्फ राजू वासनप्रति साक्षी-1, प्रति साक्षी-2, राज कुमार शर्मा, प्रति साक्षी-3, गुलाम मोहम्मद समशी प्रति साक्षी-4, राम लखन प्रसाद, प्रति साक्षी-5, राहुल वासनका परीक्षण किया गया।

6.1 दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादियों की ओर से पावती भाग-2 प्रदर्श-ए, विविध वाद संख्या 836/2013 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गई प्रदर्श-बी। " वासन दशमेश-100" का नमूना पैकेट भी प्रदर्श-1 के रूप में दाखिल किया गया है।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद दिनांक 22.02.2017 के आदेश के तहत आक्षेपित निर्णय पारित किया था, जिसके तहत वादी का वाद बिना किसी खर्चे के 02.03.2017 को पारित और हस्ताक्षरित डिक्री को खारिज कर दिया गया था।

8. आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.02.2017 और डिक्री दिनांक 02.03.2017 से व्यथित होकर अपीलकर्ता/वादी की ओर से तत्काल प्रथम अपील इस आधार पर निर्देशित की गई है कि निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री विकृत निष्कर्ष पर आधारित है। .

निचली अदालत न्यायिक दिमाग का उपयोग किए बिना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की ठीक से सराहना करने में विफल रही है। निचली अदालत ने वाद के कंडिका-4 में दिए गए अभिवचनों पर विचार न करके गलती की है कि वादी 10.04.2002 से "भुवलका दशमेश 100" के नाम और शैली में अगरबत्ती का व्यवसाय चला रहा था, जिसके संबंध में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व किया गया है। व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के तहत 26.11.2012 तक किया गया। निचली अदालत ने उसपर विचार करने में गलती की है कि व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत अतिरिक्त प्रतिनिधित्व को पंजीकृत व्यापार चिन्ह संख्या 2433921 मिला है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रदर्श-5 दस्तावेज़ से यह स्पष्ट है कि वादी को "भुवलका दशमेश 100" का पंजीकृत कॉपीराइट मिला है। इसके अलावा निचली अदालत ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी की दलील प्रतिवादी प्रदर्श-4 द्वारा दिए गए उत्तर नोटिस के विपरीत थी। निचली अदालत ने वाद संख्या 4 और 5 का फैसला गलत और अवैध तरीके से प्रतिवादी के पक्ष में और वादी के खिलाफ किया था। चूंकि प्रतिवादियों की ओर से अभिलेख पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वासन दशमेश 100" प्रतिवादी का पंजीकृत व्यापार चिह्न है जिसके तहत वे व्यवसाय चला रहे हैं।यद्दपि दस्तावेज़ ऑनलाइन व्यापार चिन्ह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र है, व्यापार चिन्ह संख्या 2433921 के माध्यम से दिनांक 27.11.2012 (जे0 संख्या 1674) ट्रेडमार्क्स अधिनियम, 1999 के तहत जारी किया गया है, जिसका क्रमांक संख्या 1243871 है,व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी पहले ही दाखिल किया जा चुका है। इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ए और 65-बी के प्रावधानों के तहत प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थनीय नहीं था और इसे अपास्त करने और वादी के मुकदमे को डिक्री करते हुए अपील को अनुज्ञात करने की प्रार्थना की गई।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया है।

10. इस प्रथम अपील के निस्तारण हेतु निम्नलिखित निर्धारण बिन्दु बनाये जा रहे हैं:

(i) क्या अपीलकर्ता व्यापार चिन्ह "भुवलका दशमेश 100 (लेबल)" का पंजीकृत मालिक है और 10.04.2002 से उक्त व्यापार चिन्ह के तहत अगरबत्ती के निर्माण और विपणन का व्यवसाय कर रहा है?

(ii) क्या उत्तरदाता अपने उत्पाद को वादी/अपीलकर्ता के उत्पाद के रूप में पारित कर रहे हैं?

11. निर्धारण का पहला बिंदु: - अपीलकर्ता/वादी का मामला यह है कि वह व्यापार चिन्ह "भुवालका दशमेश 100 (लेबल)" का मालिक है, जो व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के तहत 24.03.2009 को पंजीकृत किया गया था और यह 10 वर्षों के लिए वैध था। वादी द्वारा वर्ष 10.04.2002 से "भुवलका दशमेश 100 (लेबल)" के तहत अगरबत्तियों का निर्माण, विपणन और उपयोग किया जा रहा है, जिसके संबंध में व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के तहत 26.11.2012 की शुरुआत में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व किया गया है। 2012 निर्धारण के इसी बिंदु पर, वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य अ.सा.1- प्रदीप भुवालका, वादी स्वयं और अ.सा.2- तारकेश्वर गुप्ता अ.सा.-1 प्रदीप भुवालका की मुख्य परीक्षण में की गई है शपथ पत्र के प्रपत्र में कहा गया है कि उनके द्वारा निर्मित अगरबत्ती व्यापार चिन्ह अधिनियम "भुवलका दशमेश 100 (लेबल)" के तहत पंजीकृत है, यह 27.11.2012 से अगले 10 वर्षों तक वैध है। उनका व्यापार चिन्ह पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 29.03.2009 है सार्वजनिक दस्तावेज़ और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 45 के तहत प्राप्त किया गया है जो कि प्रदर्श-5 है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि "भुवलका दशमेश 100 (लेबल)" उसके नाम पर पंजीकृत है। उसने 27.11.2012 को "भुवलका दशमेश 100 (लेबल)" के लिए आवेदन किया है।

11.1 इस निर्धारण बिंदु पर प्रतिवादी की ओर से यह बचाव किया गया है कि वादी का ट्रेडमार्क "भुवलका" है न कि "भुवलका दशमेश 100 (लेबल)"।

11.2 दस्तावेजी साक्ष्य में निर्धारण के इस बिंदु पर वादी की ओर से प्रदर्श-8 व्यापार चिन्ह पंजीकरण प्रमाणपत्र दायर किया गया है। इसी प्रदर्श-8 पर वादी फर्म का व्यापार चिन्ह संख्या 1514286 है, इसे 24.03.2009 को पंजीकृत दिखाया गया है। यह छाया प्रति है और पंजीकरण प्रमाणपत्र की छाया प्रति में दिखाई गई अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए, वादी अपीलकर्ता ने न्यायालय को उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए व्यापार चिन्ह की प्रमाणित अभिलेख पर लाने की प्रार्थना के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश आदेश41 नियम 27 के तहत आई.ए.2021 की संख्या 502, दायर किया है। यह आई.ए. 2021 की संख्या 502 को न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2024 के आदेश के तहत अनुमति दी गई है क्योंकि इस आईए को अनुमति दी गई है और केवल इस आईए 2021 की संख्या 502 की अनुमति देना और आईए 2021 की संख्या 502 के उपाबंध -2 के माध्यम से दस्तावेज़ को अभिलेख पर लेना सीधे प्रदर्श को चिह्नित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके बजाय अपीलकर्ता/वादी को खुद की जांच करके और इस दस्तावेज़ को साबित करने के लिए किसी अन्य साक्षियों को शामिल करके कानून के अनुसार उक्त दस्तावेज़ के अस्तित्व, प्रामाणिकता, वास्तविकता और सामग्री को साबित करना होगा। इसके अलावा प्रतिवादी को दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य जोड़कर इस दस्तावेज़ का खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उक्त दस्तावेज़ के अस्तित्व, प्रामाणिकता,

वास्तविकता और वस्तु स्थिति को साबित करने के बाद ही न्यायालय इसके साक्ष्य मूल्य पर विचार कर पाएगा।

11.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "उत्तरादि मठ बनाम राघवेंद्र स्वामी मठ (2018) 10 एस.सी.सी 484 में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन की अनुमति देने से यह परिणाम नहीं निकलेगा कि अतिरिक्त दस्तावेज़/अतिरिक्त साक्ष्य सीधे प्रदर्शित किया जाएगा, बल्कि आवेदक को न केवल उक्त दस्तावेज़ के अस्तित्व, प्रमाणिकता और वास्तविकता को साबित करना होगा, बल्कि उसकी अंतर्वस्तु को भी कानून के अनुसार साबित करना होगा।

11.4 इसलिए, निर्धारण के इसी बिंदु पर उचित निष्कर्ष आना चाहिए कि क्या वादी/अपीलकर्ता व्यापार चिन्ह "भुवलका दशमेश 100 (लेबल)" का मालिक है? अतिरिक्त दस्तावेज जिसे 2021 आई.ए.संख्या 502 की अनुमति देकर अभिलेख पर लिया जा रहा है। और उसी दस्तावेज़ को साबित करने के लिए अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता है और प्रतिवादी/प्रतिवादी को उसका खंडन करने का अवसर भी दिया जाना है। इसी उद्देश्य से मामले को विद्वान निम्न न्यायलय में प्रतिप्रेषित करने की आवश्यकता है।

12. जहां तक निर्धारण के दूसरे बिंदु का प्रश्न है, यह निर्धारण के पहले बिंदु के व्ययन के परिणाम पर निर्भर है, इसलिए, इस स्तर पर निर्धारण के इस बिंदु पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

13. यहां ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, यह पहली अपील अनुज्ञात के योग्यहै।

14. तदनुसार, 2017 की प्रथम अपील संख्या 114 को इसके द्वारा अनुज्ञात किया जाता है। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाता है। वाद के रूप में व्ययन करने के लिए मामले को विद्वान विचारण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलकर्ता/वादी को उस दस्तावेज़ को साबित करने का अवसर देने के बाद गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से 2021 का आई.ए. क्रमांक 502 को अनुमति देकर अभिलेख पर लिया गया है, तथा खंडन में प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया।

15. विद्वान निम्न न्यायालय के अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जाए।

(सुभाष चंद, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

ए.एफ.आर.

दिनांक: 15.03.2024

आर.के.एम

<u>यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।</u>